राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(60) परि/नियम/मु./85/पार्ट/42328 जयपुर, दिनांक 28/8/17

कार्यालय आदेश संख्या ...30.../2017

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 (4) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 01.05.2017 को अधिसूचना संख्या एस.ओ 1374 (ई) जारी कर ऐसे आपात और आपदा प्रबंध कर्त्तव्यों को अधिसूचित किया है जिनके निर्वहन के लिये कार्यालय ड्यूटी पर प्रयुक्त वाहनों के शीर्ष अग्र भाग बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का उपयोग अनुमत किया गया है। इस अधिसूचना के तहत पुलिस बल द्वारा कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपयोग में लाये जाने वाहनों को भी उक्त बत्ती का उपयोग करने का प्रावधान हैं। ऐसे वाहनों पर प्रदर्शित स्टीकर जारी करने का दायित्व परिवहन विभाग का है।

अधिसूचना के तहत अधिकृत वाहनों को स्टीकर आवंटन/वितरण रिकॉर्ड संधारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:–

1. समस्त परिवहन कार्यालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, भण्डार शाखा से स्टीकर प्राप्त कर स्टोक रजिस्टर में प्राप्त प्रत्येक स्टीकर क्रमांक का इन्द्राज कर, किस विभाग, व्यक्ति मय पद एवं वाहन को आवंटित किया गया, का रिकॉर्ड संधारित करेगें।

2. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उन्हीं विभागों एवं वाहनों को स्टीकर जारी किये जावे जिसकी सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा उन्हें एवं संबंधित विभाग को भिजवायी जाती है।

3. स्टीकर वितरण से पूर्व उस पर पद नाम एवं वाहन नम्बर का इन्द्राज विभागीय स्तर पर किया जायेगा। स्टीकर वितरण होने पर जिम्मेदार व्यक्ति से पावती प्राप्त करेगें।

4. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त स्टीकर जारी करने के पश्चात् अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं अपर परिवहन आयुक्त (नियम) को, जारी स्टीकर की सूचना निम्न तालिका में भेजना सुनिश्चित करेगें:–

क्र.सं.	जिला एवं विभाग का नाम	वाहन संख्या एवं प्रकार	अधिकारी का नाम व पदनाम

5. आवंटित स्टीकर के नष्ट/खराब हो जाने पर, पुनः जारी करने के प्रकरणों पर निर्णय परिवहन आयुक्त कार्यालय से किया जायेगा।

आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प 7(60) परि/नियम/मु./85/पार्ट/42329-34 जयपुर, दिनांक 28/8/17

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)